रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2018/माघ 13, 1939
No. 425] NEW DELHI, FRIDAY FEBRUARY 2, 2018/MAGHA 13, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2018

का.आ. 494(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. संख्या 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में मद संख्यांक (xv) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखीं जाएंगी, अर्थात् :-

"(xv) डॉ. वीणा वर्मा, निदेशक, आचार्य फार्मोकोलॉजी विभाग, सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)"

[फा. सं. 19-6/2008-पीपी- I (जिल्द. II)]
अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. संख्या 2798(अ), तारीख 22 अगस्त, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2018

S.O. 494(E).— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely: -

In the said notification, for item (xv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely: -

"(xv) Dr. Veena Verma, Director, Professor, Department of Pharmacology, Safdarjung Hospital, New Delhi.	(For a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 19-6/2008-PP-I (vol. II)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and last amended *vide* number S.O. 2798(E), dated 22nd August, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.